न्यायालय उप खण्ड अधिकारी एवम् पदेन् सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी – संजय कुमार, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 89/2020

अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

गौरव सिंह पुत्र भूपिन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख उम्र 43 वर्ष निवासी मकान नम्बर 511, ग्रीन एनक्लेव, लोहगढ़, एसएएस नगर, मोहाली (पंजाब)

....वादी

बनाम

(1). नवनीत कौर पत्नी गौरव सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी मकान नम्बर 511, ग्रीन एनक्लेव, लोहगढ़ एसएएस नगर, मोहाली (पंजाब)

(2). स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज0)

... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	अधिवक्ता श्री ऋषिपाल जोशी	(वादी)
	अधिवक्ता श्री विजया जोशी	(प्रतिवादी–1)
	पैरोकार राज	(प्रति.–2)

दिनांक 10.01.2024

–:: निर्णय ::–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद–पत्र में अंकित तथ्यानुसार चक 1 ए छोटी पटवार हल्का 4 एम.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 35/28 के मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 15/1 (0.063 है. गै.मु. आबादी), 15/2(0.025 है. खाला), 15/3(0.165 है. नहरी) = 0.253 है. नहरी/खाला मय गै.मु.आबादी व मुरब्बा नम्बर 69 के किला नम्बर 3/1 (0.063 है.), 4 ता 7 (प्रत्येक में 0.253 है.), 8/1 (0.051 है.), 13/1(0.051 है.), 14 ता 17 (प्रत्येक में 0.253 है.), 18/1 (0.051 है.) = 2.240 है. नहरी कुल 2.493 है. {0.063 है. गै.मु. आबादी + 0.025 है. खाला +2.405 है.नहरी} कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 नवनीत कौर पत्नी गौरव सिंह के नाम से जमाबन्दी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज कागजात राज है। चक 1 ए छोटी के खाता संख्या 35/28 की जमाबन्दी की प्रति संलग्न वाद पत्र है। प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि वादी को विरास्त में प्राप्त हुई जायदाद है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारस्परिक सहमति से हुए समझौता अनुसार वादी ने अपने नाम दर्ज कृषि भुमि में से मुरब्बा नम्बर 69 के किला नम्बर 3/1 (0.063 है.), 4 ता 7 (प्रत्येक में 0.253 है.), 8/1 (0.051 है.), 13/1(0.051 है.), 14 ता 17 (प्रत्येक में 0.253 है.), 18/1(0.051 है.) कुल 2.240 है नहरी कृषि भूमि जरिये उपहार पत्र अपनी पत्नी यानि प्रतिवादी संख्या 1 को दी गई [illegible] कृषि भूमि का उपहार पत्र तहरीर करवाते समय तह[illegible] वादी [illegible] नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उपहार में [illegible] मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 15/1 (0.063 है. गै.मु. आबादी), 15/2(0.025 है. खाला), 15/3 (0.165 है. नहरी) कुल 0.253 है. नहरी/खाला मय [illegible] आबादी कृषि भूमि कभी भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी संख्या 1 को उपहार में नहीं दी गई एवं ना ही उक्त कृषि भूमि का कब्जा प्रतिवादीया संख्या 1 को सपुर्द नहीं किया गया आज रोज भी वादी उक्त कृषि भूमि का काबिज काश्त है। मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 15/1(0.063 है. गै.मु. आबादी), 15/2(0.025 है. खाला), 15/3 (0.165 है. नहरी) कुल 0.253 है. नहरी/खाला मय गै.मु.आबादी कृषि भूमि वादी के नाम दर्ज ना होने के कारण, वादी को उस पर कोई भी मालिकाना हक एवं राजस्व सम्बन्धी हक व अधिकार हासिल नहीं है। वादी उक्त कृषि भूमि का अपनी इच्छानुसार उपयोग व उपभोग नहीं कर सकता है, ना ही वह उस पर कृषि ऋण, सहकारी ऋण, मुआवजा आदि की सुविधा ले सकता है। उक्त कृषि भूमि प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण वह इसका अनुचित लाभ उठा सकती है। प्रतिवादीया संख्या 1 को भुलवंश दर्ज हुए रकबा पर कोई हक व अधिकार प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है तथा वादी अपने हक व अधिकार प्राप्त कर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 1 वादी को उक्त कृषि भूमि से वंचित करने के आश्य से उक्त रकबा को गलत तौर से मुन्तकिल करने की कोशिश में है इसलिए वादी अपने हिस्से एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि को, अपने नाम से दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 26/12/2023 को प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष पेश होकर समस्त वस्तुस्थिती से अवगत करवाते हुए राजस्व रिकार्ड में दरूस्ती हेतू निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने श्रीमान जी न्यायालय में वाद पत्र पेश कर आदेश लाने की हिदायत दी गई इसलिए वादी के पास उक्त वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा दिनांक 26/12/2023 से वादी को वाद कारण प्राप्त है। वाद पत्र, वाद कारण से अन्दर मियाद प्रस्तुत किया जा रहा है एवं श्रीमान न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है तथा 2 रुपये के न्याय शुल्क पर पेश है । अतः वाद पत्र पेश करके निवेदन है कि वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण के खिलाफ स्वीकार किया जाकर दावा निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावे :-

(क) कि वाद पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित चक 1 ए छोटी पटवार हल्का 4 एम. एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073-2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 35/28 के मुरब्बा नम्बर 58 व 69 की कुल 2.493 है.{0.063 है. गै.मु. आबादी + 0.025 है. खाला +2.405 है. नहरी} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 15/1(0.063 है. गै.मु. आबादी), 15/2(0.025 है. खाला), 15/3 (0.165 है. नहरी) कुल 0.253 है. नहरी/खाला मय गै.मु. आबादी को वादी गौरव सिंह पुत्र भूपिन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी मकान नम्बर 511, ग्रीन एनक्लेव, लोहगढ़ एसएएस नगर, मोहाली (पंजाब) की घोषित की जावे ।

(ख) उक्त घोषित हिस्सा का अलग लगान कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावे ।

(घ) वादी को खर्चा मुकदमा दिलवाया जावे।

(च) कि अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय वादी के हित में समझे दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:25 IST
Reason: SelfAttested

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.01.2024 को अपसी सहमति के आधार पर राजी[illegible] पेश किया गया जिसके मुताबिक उक्त अनवानी शीर्षक दावा में पक्षकारान का [illegible]त वा मौतबिरान लोगो ने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

राजीनामा करवा दिया है तथा पक्षकारान ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर अपनी स्वेच्छा से राजीनामा कर लिया है। पक्षकारान का अब कोई मनमुटाव नहीं रहा है। चक 1 ए छोटी पटवार हल्का 4 एम.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 35/28 के मुरब्बा नम्बर 58 व 69 की कुल 2.493 है.{0.063 है. गै.मु. आबादी + 0.025 है. खाला +2.405 है. नहरी} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 15/1(0.063 है. गै.मु. आबादी), 15/2(0.025 है. खाला), 15/3 (0.165 है. नहरी) कुल 0.253 है. नहरी/खाला मय गै.मु.आबादी भूमि उपहार पत्र तहरीर करवाते समय तहरीरकर्ता द्वारा भूलवंश वादी के नाम दर्ज समस्त कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को उपहार में देना वर्णित कर दिया जबकि मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 15/1 (0.063 है. गै.मु. आबादी), 15/2(0.025 है. खाला), 15/3 (0.165 है. नहरी) कुल 0.253 है. नहरी/खाला मय गै.मु. आबादी कृषि भूमि कभी भी प्रतिवादी संख्या 1 को उपहार में नहीं दी गई है एवं वादी गौरव सिंह पुत्र भूपिन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी मकान नम्बर 511, ग्रीन एनक्लेव, लोहगढ़ एसएएस नगर, मोहाली (पंजाब) के कब्जा काश्त में है। अतः उक्त राजीनामानुसार चक 1 ए छोटी पटवार हल्का 4 एम.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 35/28 के मुरब्बा नम्बर 58 व 69 की कुल 2.493 है.{0.063 है. गै.मु. आबादी + 0.025 है. खाला +2.405 है. नहरी} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 15/1 (0.063 है. गै.मु. आबादी), 15/2(0.025 है. खाला), 15/3 (0.165 है. नहरी) कुल 0.253 है. नहरी/खाला मय गै.मु.आबादी भूमि वादी गौरव सिंह पुत्र भूपिन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी मकान नम्बर 511, ग्रीन एनक्लेव, लोहगढ़ एसएएस नगर, मोहाली (पंजाब) की घोषित जाकर डिक्री जारी कर दी जावे व उक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया जावे तो पक्षकारान उसमें पूर्णतः सहमत है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत जमाबंदी सम्वत् 2073–2076 ग्राम 1 ए छोटी, पटवार हल्का 4 एमएल भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीगंगानगर खाता संख्या 35/28 की प्रति पेश की। वाद में पक्षकारान मध्य राजीनामा हो चुका है।

"राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है।"

–:: आदेश ::–

अतः वादी वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादी गौरव सिंह पुत्र भूपिन्द्र सिंह जाति कम्बोजसिख निवासी मकान नम्बर 511, ग्रीन एनक्लेव, लोहगढ़ एसएएस नगर, मोहाली (पंजाब) को चक 1 ए छोटी पटवार हल्का 4 एम.एल तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी अंतिम चौसला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता संख्या 35/28 के मुरब्बा नम्बर 58 व 69 की कुल 2.493 है.{0.063 है. गै.मु. आबादी + 0.025 है. खाला +2.405 है. नहरी} कृषि भूमि जमाबन्दी मुताबिक में से मुरब्बा नम्बर 58 के किला नम्बर 15/1 (0.063 है. गै.मु. आबादी), 15/2(0.025 है. खाला), 15/3 (0.165 है. नहरी) कुल 0.253 है. नहरी/खाला मय गै.मु. आबादी भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। खर्चा फरीकैन अपना अपना वहन करें। नियमानुसार पर्चा डिक्री हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किये जाने पर अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करे। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवम् उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10.01.2024 को जारी किया गया।

(संजय कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर,
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jeetu Kulhari
Date: 2024.04.27 10:15:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner